5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): पश्चिम, 200 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): बैंक आफ बडौदा शाखा सुखलिया ,इन्दौर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): आरक्षक स्वाति चतुर्वेदी

(b) Husband's Name (पति का नाम) : आशीष मिश्रा

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 14/07/1990 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	पीटीएस परिसर रिंग रोड ,मूसाखेडी ,आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई ,इंदौर अर्बन,मध्य प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	पीटीएस परिसर रिंग रोड ,मूसाखेडी ,आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई ,इंदौर अर्बन,मध्य प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-6263198522

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	श्रीमति स्वप्निल पुरोहित जाति ब्राहम्ण /		पति का नाम : श्री विनोद पुरोहित	1. निवासी 18 राम नगर एक्सटेंसन ,देवास,मध्य प्रदेश,भारत
2	श्री शिरीष सातारकर /		पिता का नाम : रघुनाथ सातारकर	1. निवासी 141 रेडियो कालोनी , इंदौर अर्बन,मध्य प्रदेश,भारत
3	श्रीमति रूचिका केलोत्रा /			1. 1070 द्वारकापुरी मेन रोड , इंदौर अर्बन,मध्य प्रदेश,भारत
4	प्रकाशचन्द्र सैनी /		पिता का नाम : श्री रीचपाल सैनी	1. 6, विजय उद्योग नगर पालदा, इंदौर अर्बन,मध्य प्रदेश,भारत
5	श्रीमति रचना सैनी /		पति का नाम : प्रकाश सैनी	1. 26/1 मंगल उद्योग नगर पालदा, इंदौर अर्बन,मध्य प्रदेश,भारत
6	पारूल जैन /		पिता का नाम : बक्सीराम जैन	1. पता एटीडीसी रेडिमेड , काम्पलेक्स,परदेसीपुरा ,इंदौर अर्बन,मध्य प्रदेश,भारत
7	अमित कुमार दुबे /		पिता का नाम : श्री शेखर दुबे	1. पता 127, रेडिमेड,काम्पलेक्स, परदेशीपुरा,इंदौर अर्बन,मध्य प्रदेश,भारत
8	श्रीमति रीनू जैन /		पति का नाम : पवन कुमार जैन	1. पता 92, रेडिमेड काम्पलेक्स, , परदेशीपुरा, ,इंदौर अर्बन,मध्य प्रदेश,भारत
9	रीचपाल /		पिता का नाम : देवीसहाय सैनी	1. पता 7 ए ओल्स अग्रवाल नगर, इंदौर अर्बन,मध्य प्रदेश,भारत

10	रजनीकांत /		पिता का नाम : फूलचंद जैन	1. पता खुटाल काम्पलेक्स राजवाड़ा,इंदौर अर्बन,मध्य प्रदेश,भारत
11	हेमेन्द्र सिंह गहलोत /		पिता का नाम : हरिसिंह गहलोत	1. पता 255, उषा नगर मारुति अपा- ,इंदौर अर्बन,मध्य प्रदेश,भारत
12	रविशंकर अहिरवार /		पिता का नाम : श्री घनश्याम अहिरवार	1. निवासी मनं 723, भागीरथ पुरा,,इंदौर अर्बन,मध्य प्रदेश,भारत
13	सी ए तेजेश सुतरिया एवं अन्या /		पिता का नाम : श्री बसंत लाल सुतरिया	1. निवासी- 49, विध्या कालंदी , मिडटाउन बायपास सारा सिटी के ,सामने,इंदौर अर्बन,मध्य प्रदेश,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

मैं थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल म.प्र मे उप पुलिस अधीक्षक कार्यवाहक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हू आज दिनांक 12.12.2024 को महिला आरक्षक स्वाति चतुर्वेदी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई इन्दौर ने एवं टाईपशुदा श्री कैलाशचन्द्र पाटीदार, का.वा. निरीक्षक, इकाई इन्दौर द्वारा हस्ताक्षरित देहाती नालिसी क्रमांक 00/2024, धारा-420, 467, 468, 471, 120(बी) भारतीय दण्ड विधान एवं धारा 7(सी) भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 इकाई इन्दौर से लाकर थाने पर असल नम्बर पर अपराध पंजीबद्ध करने हेतु प्रस्तुत की गयी, जो देहाती नालिसी की नकल निम्नानुसार है:-(देहाती -नालसी) 1.थाना -आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल (म.प्र.) 2.अपराध क्रंमाक -0/24 धारा 420, 467, 468, 471, 120(बी) भारतीय दण्ड विधान एवं धारा 7(सी) भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018, 3.घटना का दिनांक -28.06.2014 से 31-12- 2017 के मध्य 4.सूचना दिनांक व समय -18.11.19 5.कायमी दिनांक देहाती नालसी -11.12.24 6.स्थान लेख देहाती नालिसी- आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई इन्दौर 7.

सूचनाकर्ता -कैलाशचन्द्र पाटीदार, कार्यवाहक निरीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई इन्दौर 8. घटना स्थल -बैक आफ बडौदा शाखा सुखलिया इन्दौर 9. थाने से दिशा दूरी -पश्चिम लगभग 200 कि.मी.10. नाम आरोपीगण -1. श्रीमति स्वप्निल पुरोहित पति श्री विनोद पुरोहित जाति ब्राहम्ण, निवासी 18 राम नगर एक्सटेंसन जिला देवास।2. श्री शिरीष सातारकर पिता रघुनाथ सातारकर निवासी 141 रेडियो कालोनी जिला इंदौर।3. श्रीमति रूचिका केलोत्रा पता 1070 द्वारकापुरी मेन रोड इंदौर। 4. प्रकाशचन्द सैनी पिता श्री रीचपाल सैनी पता 6, विजय उद्योग नगर पालदा इन्दौर। 5. श्रीमति रचना सैनी पति प्रकाश सैनी पता 26/1 मंगल उद्योग नगर पालदा, इन्दौर। 6. पारूल जैन पिता बक्सीराम जैन पता एटीडीसी रेडिमेड काम्पलेक्स, परदेसीपुरा इंदौर। 7. अमित कुमार दुबे पिता श्री शेखर दुबे पता 127, रेडिमेड काम्पलेक्स, परदेषीपुरा, इन्दौर।8. श्रीमति रीनू जैन पति पवन कुमार जैन पता 92, रेडिमेड काम्पलेक्स, परदेषीपुरा, इन्दौर। 9. रीचपाल पिता देवीसहाय सैनी, पता 7 ए ओल्स अग्रवाल नगर, इन्दौर। 10. रजनीकांत पिता फूलचंद जैन, पता खुटाल काम्पलेक्स राजवाडा, इन्दौर। 11. हेमेन्द्र सिंह गहलोत पिता हरिसिंह गहलोत पता 255, उषा नगर मारूति अपा. इन्दौर 12. रविशंकर अहिरवार पिता श्री घनश्याम अहिरवार, निवासी म.नं. 723, भागीरथ पुरा, इंदौर। 13. सी ए तेजेश सुतरिया पिता श्री बसंत लाल सुतरिया निवासी- 49, विध्या कालंदी मिडटाउन बायपास सारा सिटी के सामने इंदौर।14. अन्या// विवरण // मैं कार्यवाहक निरीक्षक, कैलाशचन्द्र पाटीदार आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई इन्दौर में पदस्थ हू। प्रकोष्ठ मुख्यालय में पंजीबद्ध शिकायत क्र. 316/19 का सत्यापन हेतु प्राप्त हुई थी। आवेदक श्री शैलेष कुमार पारख, असिसटेंट जनरल मैनेजर इंदौर रीजन बैक आफ बडौदा जिला इंदौर द्वारा सीजीटीएमएसई अधिनियम 2006 के अंतर्गत जून 2014 से अगस्त 2015 के मध्य 1. मेसर्स नाकोडा भेरव गारमेन्टस, 2. मेसर्स माई च्वाईस ड्रेसेस,3. मेसर्स महावीर रेडीमेट गारमेन्टस, 4. मेसर्स रचना फूडस, 5. मेसर्स मधुर इंडस्ट्रीज, 6. मेसर्स चैतन्या इंटरप्राइजेस, 7. मेसर्स अरिहंत टेडर्स, 8. मेसर्स श्री राधे फूड्स, 9. डी.आर. इंटरप्राइजेस 10. मेसर्स भावना एप्परेल्स कुल 10 फर्मो के प्रोपराईटरो को बैक आफ बडौदा शाखा सुखलिया ब्रांच इंदौर द्वारा व्यवसाय के लिए कुल 348.31 लाख रूपये का लोन भिन्न-भिन्न पतो के फर्जी दस्तावेजो के आधार पर स्वीकृत किया गया। तथा फर्मो के प्रोपराईटरो द्वारा जिस उद्देश्य से लोन लिया गया था लोन की राशि उस व्यवसाय मे उपयोग न करते हुए अन्य कार्यो मे खर्च कर बैक को लोन की राशि वापस जमा नही की जाकर बैक के साथ कुल 431.05 लाख रूपये की धोखाधडी करने के संबंध मे शिकायत की गई, सत्यापन के दौरान प्राप्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं साक्षीगणो श्री कौशलेश शर्मा पिता श्री नंदकिशोर शर्मा निवासी 49 अग्रवाल नगर पुरानी भूमि इंदौर थाना भंवरकुआ जिला इंदौर के तथा श्रीमति निलिमा शर्मा पति श्री विनय शर्मा निवासी 852 समता विला अनुराग नगर थाना विजय नगर जिला इंदौर, श्री वीरेन्द्र भावसार पिता मनोहरलाल भवसार निवासी 519 बजरंग नगर थाना हीरानगर इंदौर, श्री राहुल राठौर पति बहादुर सिंह राठौर निवासी फ्लेट नं. 110 कान्टीवाक ग्राम झलारिया थाना कनाडिया जिला इंदौर के कथन, श्री सुकेश जैन पिता श्री महेन्द्र कुमार जैन, निवासी- बी-1, 401 शुभ लाभ वैली आशीष नगर इंदौर के कथन, श्री नरेश जैन पिता स्व. श्री नेमीचंद जैन, निवासी- 102 एजे स्कीम नं. 71 इंदौर के कथन, श्री अरविन्द कुमार पिता श्री अतर सिंह निवासी- बी 31 ड्रीम सिटी कंकरखेडा मेरठ के कथन तथा अनावेदक श्री रविशंकर अहिरवार पिता श्री घनश्याम अहिरवार, निवासी म.नं. 723, भागीरथ पुरा, इंदौर प्रोपराईटर फर्म- मे. भावना ऐपेरेल्स, पता 88, रेडीमेड काम्प्लेक्स, परदेशीपुरा इन्दौर के मूल व पूरक कथन, श्री शिरीष सातारकर पिता रघुनाथ सातारकर, निवासी 141 रेडियो कालोनी जिला इंदौर के कथन, श्रीमति स्वप्निल पुरोहित पति श्री विनोद पुरोहित जाति ब्राहम्ण ,निवासी 18 राम नगर एक्सटेंसन जिला देवास के कथन, श्री मुकेश कुमार पन्डया पिता श्री प्रेमशंकर पन्डया जाति ब्राहम्ण निवासी बी 119 अभिलाषा नगर देवास रोड उज्जैन, थाना नागझिरी उज्जैन के कथन, श्री तेजेश सुतरिया पिता श्री बसंत लाल सुतरिया निवासी- 49, विध्या कालंदी मिड टाउन बायपास सारा सिटी के सामने इंदौर के कथनो के विश्लेषण से पाया गया कि सितम्बर 2015 से दिसम्बर 2015 के मध्य कुल 05 ऋण प्रकरण तथा वर्ष 2017 मे कुल 08 ऋण प्रकरण एनपीए (गैर निस्पादक आस्ति) कर दिये गये। ऋण स्वीकृत करते समय बैक अधिकारियो द्वारा फर्मो के दस्तावेजो का सही अध्ययन नही किया गया। तथा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट भी गलत तैयार की गई। फर्मो

के दस्तावेजो मे भिन्न-भिन्न पते अंकित होकर दिये गये पते पर फर्म अस्तित्व मे नही होने के बावजूद भी तत्समय पदस्थ शाखा प्रबंधक मुकेश पंड्या द्वारा गलत भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तैयार की गई है। तथा ऋण प्रकरणो की राशि का भुगतान नगदी मे नही किया जा सकता है। फिर भी बैक अधिकारियो द्वारा फर्मो के प्रोपराईटरो को नगद भुगतान किया गया है। फर्मो की बैलेसशीट व आडिट रिपोर्ट भी फर्जी जाली सी.ए. तेजस सुतारिया द्वारा तैयार की गई है। नई फर्मे बनाई जाकर बैक अधिकारियो 1. श्री मुकेश कुमार पन्डया पिता श्री प्रेमशंकर पन्डया जाति ब्राहम्ण निवासी बी 119 अभिलाषा नगर देवास रोड उज्जैन, थाना नागझिरी उज्जैन 2. श्रीमति स्वप्निल पुरोहित पति श्री विनोद पुरोहित जाति ब्राहम्ण उम्र- 48 वर्ष निवासी 18 राम नगर एक्सटेंसन जिला देवास 3. श्री शिरीष सातारकर पिता रघुनाथ सातारकर उम्र- 66 वर्ष निवासी 141 रेडियो कालोनी जिला इंदौर 4.रूचिका केलोत्रा द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर बैक के नियमो का उल्लंघन किया जाना तथा बैक के हित मे कोई कार्य नही किया जाकर लोन प्रकरणो मे उचित देखभाल नही की जाकर नकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हुए सही निर्णय नही लिये व जानबूझकर षडयंत्रपूर्वक अपात्र लोगो को लोन देकर उसकी वसूली न करते हुए बैक को कुल 3,98,05,000 रूपये (तीन करोड अन्ठानवे लाख पाच हजार रूपये) की पूंजीगत हानि पहुचाना पाया गया है। तथा तत्समय पदस्थ शाखा प्रबंधक मुकेश पंड्या तथा श्री प्रकाशचन्द्र सैनी पिता श्री रीचपाल सैनी संचालक मेसर्स रचना फूडस एवं प्रकाश इंडस्ट्रीज द्वारा षडयंत्रपूर्वक त्रीवेणी इंटरप्राइजेस प्रोपराईटर कौशलेन्द्र शर्मा के खाता क्रं. 38890500000028 से प्रकाश इंडस्ट्रीज प्रोपराईटर प्रकाशचन्द्र सैनी के खाता क्रं. 38890500000030 मे खाताधारक की बिना सहमति एवं हस्ताक्षर के बगैर ही धोखाधडी से दिनांक 27.05.2015 को स्वंय तत्समय पदस्थ शाखा प्रबंधक मुकेश पंड्या द्वारा ही अपने हस्ताक्षर व आईडी क्रमांक एमपी 028498 से 7,99,800 रूपये ट्रांस्फर किये जाना पाया गया है। इसी प्रकार त्रीवेणी इंटरप्राइजेस प्रोपराईटर कौशलेन्द्र शर्मा के खाता क्रं.38890500000028 से खाताधारक की बिना सहमति एवं हस्ताक्षर के बगैर ही धोखाधडी से बैक के पत्र दिनांक 09.07.24 व 16.07.24 के अनुसार दिनांक 04.04.2015 को स्वंय तत्समय पदस्थ शाखा प्रबंधक मुकेश पंड्या द्वारा ही अपने हस्ताक्षर व आईडी से 1,64,000 रूपये मेसर्स मधुर इंडस्ट्रीज की संचालक श्रीमति रचना सैनी पति श्री प्रकाश सैनी के खाता क्रमांक 38890500000015 मे ट्रांस्फर किये जाना पाया गया है। इस प्रकार इनके द्वारा षडयंत्रपूर्वक छलकपट बेईमानी से कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर कुल 9,63,800 रूपये की भी ठगी की गई। साक्षी सी ए नरेश जैन के कथनानुसार मेसर्स मधूर इंडस्ट्रीज की आडिट रिपोर्ट वर्ष 2015 की अतिरिक्त बैलेसशीट जो कि स्वंय फर्म की प्रोपराईटर रचना सैनी ने ही तैयार कर अपनी फर्म की सील व हस्ताक्षर कर लोन हेतु बैक मे प्रस्तुत की गई है। जो गलत तरीके से प्रस्तुत की गई है क्योकि उनके द्वारा अपनी वर्ष 2014-15 की बैलेंस शीट पर फर्म की कैपीटल 44,26,860 रूपये दर्शायी गयी है। जबकि फर्म की प्रोपराईटर द्वारा इसके स्थान पर फर्म की कैपिटल राशि बढाकर 50,67,319 रूपये की गई है। एवं इसी प्रकार वर्ष 2014-15 की बैलेंस शीट पर फर्म पर देनदारी 30,58,078 रूपये दर्शायी गयी है। जबकि फर्म की प्रोपराईटर द्वारा इसके स्थान पर फर्म की देनदारी राशि घटाकर 8,54,790 रूपये दर्शायी गई है। इसके अतिरिक्त भी गलत तरीके से लोन प्राप्त करने की नियत से उपरोक्त दस्तावेजो मे हेराफेरी किया जाकर कूटरचित दस्तावेज तैयार किये जाकर बैक से लोन प्राप्त किया जाना पाया गया है। अतः आरोपीगण श्रीमति स्वप्निल पुरोहित पति श्री विनोद पुरोहित जाति ब्राहम्ण निवासी 18 राम नगर एक्सटेंसन जिला देवास 2. श्री शिरीष सातारकर पिता रघुनाथ सातारकर निवासी 141 रेडियो कालोनी जिला इंदौर 3. रूचिका केलोत्रा तत्कालीन बैक अधिकारी बैक आफ बडौदा शाखा सुखलिया इंदौर 4. मेसर्स रचना फूडस प्रोपराइटर प्रकाशचन्द्र सैनी पिता श्री रीचपाल सैनी पता 6, विजय उद्योग नगर पालदा इन्दौर 5. मेसर्स मधुर इंडस्ट्रीज एवं डी.आर. इंटरप्राइजेस प्रोपराइटर श्रीमति रचना सैनी पति प्रकाश सैनी पता 26/1 मंगल उद्योग नगर पालदा, इन्दौर 6. मेसर्स नाकोडा भेरव गारमेन्टस प्रोपराइटर पारूल जैन पिता बक्सीराम जैन पता एटीडीसी रेडिमेड काम्पलेक्स,परदेसीपुरा इंदौर 7. मेसर्स माई च्वाईस ड्रेसेस प्रोपराइटर अमित कुमार दुबे पिता श्री शेखर दुबे पता 127, रेडिमेड काम्पलेक्स, परदेषीपुरा, इन्दौर, 8. मेसर्स महावीर रेडीमेट गारमेन्टस प्रोपराइटर श्रीमति रीनू जैन पति पवन कुमार जैन पता 92, रेडिमेड काम्पलेक्स, परदेषीपुरा, इन्दौर, 9. मेसर्स चैतन्या

इंटरप्राइजेस प्रोपराइटर रीचपाल पिता देवीसहाय सैनी, पता 7 ए ओल्स अग्रवाल नगर, इन्दौर 10. मेसर्स अरिहंत टेडर्स प्रोपराइटर रजनीकांत पिता फूलचंद जैन, पता खुटाल काम्पलेक्स राजवाडा, इन्दौर 11. मेसर्स श्री राधे फूड्स प्रोपराइटर हेमेन्द्र सिंह गहलोत पिता हरिसिंह गहलोत पता 255, उषा नगर मारूति अपा. इन्दौर 12. मेसर्स भावना एप्परेल्स प्रोपराईटर रविशंकर अहिरवार पिता श्री घनश्याम अहिरवार, उम्र 52 वर्ष निवासी म.नं. 723, भागीरथ पुरा, इंदौर 13. सी ए तेजेश सुतरिया पिता श्री बसंत लाल सुतरिया निवासी 49, विध्या कालंदी मिड टाउन बायपास सारा सिटी के सामने इंदौर के विरूद्ध लगाये गये उक्त आरोप अब तक की जांच से ही प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है, तथा बैक को कुल 3,98,05,000 रूपये (तीन करोड अन्ठानवे लाख पॉच हजार रूपये) की पूंजीगत हानि पहुँचाना पाया गया है। आरोपी तत्कालिन शाखा प्रबंधक बैक ऑफ बडौदा शाखा सुखलिया जिला इंदौर के श्री मुकेश कुमार पन्डया पिता श्री प्रेमशंकर पन्डया जाति ब्राहम्ण निवासी बी 119 अभिलाषा नगर देवास रोड उज्जैन, थाना नागझिरी उज्जैन का स्वर्गवास दिनांक 01.07.2024 को हो गया है। अतः उपरोक्त आरोपीगणो मे से आरोपी 1. श्रीमति स्वप्निल पुरोहित पति श्री विनोद पुरोहित जाति ब्राहम्ण निवासी 18 राम नगर एक्सटेंसन जिला देवास 2. श्री शिरीष सातारकर पिता रघुनाथ सातारकर निवासी 141 रेडियो कालोनी जिला इंदौर 3. श्रीमति रूचिका केलोत्रा पता 1070 द्वारकापुरी मेन रोड इंदौर के विरूद्ध अपराध धारा 7(सी) भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018, तथा 4. प्रकाशचन्द्र सैनी पिता श्री रीचपाल सैनी पता 6, विजय उद्योग नगर पालदा इन्दौर 5. श्रीमति रचना सैनी पति प्रकाश सैनी पता 26/1 मंगल उद्योग नगर पालदा, इन्दौर 6. पारूल जैन पिता बक्सीराम जैन पता एटीडीसी रेडिमेड काम्पलेक्स,परदेसीपुरा इंदौर 7. अमित कुमार दुबे पिता श्री शेखर दुबे पता 127, रेडिमेड काम्पलेक्स, परदेषीपुरा, इन्दौर, 8. श्रीमति रीनू जैन पति पवन कुमार जैन पता 92, रेडिमेड काम्पलेक्स, परदेषीपुरा, इन्दौर, 9. रीचपाल पिता देवीसहाय सैनी, पता 7 ए ओल्स अग्रवाल नगर, इन्दौर 10. रजनीकांत पिता फूलचंद जैन, पता खुटाल काम्पलेक्स राजवाडा, इन्दौर 11. हेमेन्द्र सिंह गहलोत पिता हरिसिंह गहलोत पता 255, उषा नगर मारूति अपा. इन्दौर 12. मेसर्स भावना एप्परेल्स प्रोपराईटर रविशंकर अहिरवार पिता श्री घनश्याम अहिरवार, उम्र 52 वर्ष निवासी म.नं. 723, भागीरथ पुरा, इंदौर 13..सी ए तेजेश सुतरिया पिता श्री बसंत लाल सुतरिया निवासी 49, विध्या कालंदी मिड टाउन बायपास सारा सिटी के सामने इंदौर, व अन्य के द्वारा वर्ष 2014-15 मे अपराध धारा 420, 467, 468, 471, 120(बी) भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अपराध घटित किया जाना पाया जाने से देहाती नालिसी क्र. 0/24 असल अपराध पंजिबद्ध करने हेतु जरिये महिला आरक्षक स्वाति चतुर्वेदी इकाई इन्दौर के थाना अर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल भेजी जाती है।

कैलाशचंद पाटीदार जांचकर्ता अधिकारी/ निरीक्षक(का.वा.) आ.अ.प्र. इकाई, इन्दौर हस्ताक्षर श्री कैलाशचन्द्र पाटीदार, का.वा. निरीक्षक,/जांचकर्ता, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई इन्दौर म.प्र.। देहाती नालिसी पर से थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल मध्यप्रदेश में उपरोक्त वार्णित आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 48/2024, दिनांक 12/12/2024 धारा- 420, 467, 468, 471, 120(बी) भारतीय दण्ड विधान एवं धारा 7(सी) भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** or (या)
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** KAILASH CHANDRA PATIDAR
No.(सं.): 7
Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

to take up the Investigation
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) **Refused investigation due to** (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (ज़िला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.) थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम):

Rank (पद):